

न्यायालय श्री मातृ अमृता कल्पना रीवा तमाग रीवा, हैंडना न्यायालय
प्रिवेट लिमिटेड ₹०५०

R 5254-II/15



निगरा नी प्रकरण क्रमांक -----/2015-16

1 - विनोद कोल पिता राधोशयाम कोल

Rs. 30/-

2 - रामनरेश कोल पितारामवरण कोल

दोनो क्षिती ग्राम शिवपुरवा तहसील गोपदबनाम जिला सोधी

म०५० ----- निगरा नीकर्तगम्य

बनाम,

1 - रामक्षित साहू तनय जयलाल्लाहू ताकिन शिवपुरवा तहसील गोपदबनाम
जिला सोधी म०५०

2 - मुनूर रजवैती वेवा परनौं दुलारे साहू

3 - राजमणि ताहू पिता भगोले ताहू

4 - विशालेसा हू तनय दुलारे साहू

5 - मुन्जा उर्फ़ लालबिहारी साहू पिता भगोले ताहू

भी क्षिती ग्राम धवई तहसील चिकंगंगी जिला सिंगरौली म०५०

----- बनावेदकगम्य

ओमपुराण पाण्डेय
क्रमांक 22-12-15
प्रस्तुति किए गए
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरा नी विष्व आदेश न्यायालय श्री मातृ बपर
कलेक्टर महोदय सोधी, जिला सोधी म०५० प्रकरण
क्रमांक - २८/निगरा नी/2009-10 मै पारित आदेश
दिनांक 26.10.2015,

निगरा नी बन्तर्गत धारा 50 म०५०मू रा०स००१९५९

मा न्यूर,

बनावेदकगम्य को ओर से निम्नांकित पुनरनिरीक्षण प्रस्तुत है :-

1/ यहकि प्रस्तुत को जा रही निगरा नी के निराकरण हेतु तथ्यों
का संविप्ति निवरण निवेदित किया जाना बावश्यक है जो निम्नवत् क्षेदित
है :--

m

M



J

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-5254-II / 15

जिला-सीधी

विनोद कोल / रामनिवास साहू

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 26/निग0/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">M/  (बी.एम.शर्मा), सदस्य</p> <p style="text-align: right;"></p>	